इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
कृषि विज्ञान केन्द्र, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)
Krishi Vigyan Kendra, Jagdalpur, Bastar (C.G.)

भाकृअनुप ICAR

Phone: 07782-229153, **Website:** www.kvkbastar.org, **Email:** kvk_jagdalpur1@rediffmail.com

Healthy Soils for a Healthy Life

क0 / व.वै.एवं प्र. / कृ.वि.के. / स्था. / भर्ती / 2024—25 / 493 जगदलपुर, दिनांक 02/09/2024

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्तर जगदलपुर में रिक्त संविदा पद पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र **वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रकोट रोड, कुम्हरावंड, जगदलुपर (छ0ग0)** को संबोधित करते हुए साधारण डाक / स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से दिनांक 26.09.2024 सायंकाल 05:00 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासीयों से विस्तृत विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्तर जिम्मेदार नहीं होगा। **व्यक्तिगत रूप से सीधे कार्यालय में अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।** पदों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	पदनाम	संविदा का निश्चित वेतन (रूपये प्रति माह)	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				कुल
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
1.	**कार्यकम सहायक (पौध रोग विज्ञान)**	**32675/—**	**01**	—	—	—	**01**
	कुल पदों की संख्या		**01**	—	—	—	**01**

आवेदन की अंतिम तिथि 26.09.2024

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अन्य अर्हताएँ, आयु, चयन प्रकिया इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल व विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.igkv.ac.in एवं कार्यालय के वेबसाईट www.kvkbastar.org पर देखी जा सकती हैं।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्तर

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
कृषि विज्ञान केन्द्र, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)
Krishi Vigyan Kendra, Jagdalpur, Bastar (C.G.)

Phone: 07782-229153, 229545, Website: www.kvkbastar.org, Email: kvk_jagdalpur1@rediffmail.com

Healthy Soils for a Healthy Life

क्र0 / व.वै.एवं प्र. / कृ.वि.के. / स्था0 / भर्ती / 2024–25 / जगदलपुर, दिनांक

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्तर जगदलपुर में रिक्त संविदा पद पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र **वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रकोट रोड, कुम्हरावंड, जगदलुपर (छ0ग0)** को संबोधित करते हुए साधारण डाक / स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से दिनांक 26.09.2024 सायंकाल 05:00 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासीयों से विस्तृत विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्तर जिम्मेदार नहीं होगा। **व्यक्तिगत रूप से सीधे कार्यालय में अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।** पदों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	पदनाम	संविदा का निश्चित वेतन (रूपये प्रति माह)	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				कुल
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
1.	**कार्यक्रम सहायक (पौध रोग विज्ञान)**	**32675 / –**	01	–	–	–	01
	कुल पदों की संख्या		01	–	–	–	01

आवेदन की अंतिम तिथि 26.09.2024

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अन्य अर्हताएँ, आयु, चयन प्रकिया इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल व विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.igkv.ac.in एवं कार्यालय के वेबसाईट www.kvkbastar.org पर देखी जा सकती हैं।

शैक्षणिक अर्हताः इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रबंधन मंडल द्वारा स्वीकृत गैर शैक्षणिक सेवा भर्ती विनियम, 2016 में उल्लेखित अनुसार होगी –

क्र0	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
01	कार्यक्रम सहायक (पौध रोग विज्ञान)	किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से 2.75 / 4.00 OCGA अथवा 6.50 / 10.00 OPGA के साथ पौध रोग विज्ञान से कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि

नियम एवं शर्ते :–

1. आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें।
2. उपरोक्त सभी पदों को भरने / न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने / घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा, तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
3. विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. / स्था. 04 / नस्ती क्र.–114 / 2020 / 6414 दिनांक 20.02.2020 द्वारा संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिये गए स्कोर कार्ड के आधार पर किया जायेगा।
4. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अ.ज.जा. एवं अं.पि.वर्ग हेतु आरक्षण) के द्वारा लागू अधिनियम अनुसार होगा।
5. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा।
6. निः शक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा।
7. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जॉच करा सकता है।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26.09.2024 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तो के अनुसार रहेगी।
11. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पॉच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
12. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगें।
13. अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू. **300/–** एवं अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को रू. **200/–** का डिमांड ड्रॉफ्ट **MAIN GRANT, KRISHI VIGYAN KENDRA, BASTAR** के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जावेगी।
14. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगें तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
15. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापाना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01–01 वर्ष कर 02 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी। (03 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा)।
16. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथ 03 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किंतु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकश एवं ऐच्छिक अवकश पूर्ण महिनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिये जायेंगे।
17. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमीतिकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
18. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन/राज्य शासन के मंडल निगम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेबानिवृत कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत् कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान के रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरूद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए/डी.ए के समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे।
19. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महीना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक महीने की नोटिस देकर सेवा से त्याग–पत्र दे सकता है।
20. चयन हेतु नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जावेगी।
21. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
22. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जावेंगे।
23. ऐसे अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
24. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
25. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखे।
26. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 05 रू. का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
27. पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 07.10.2024 को विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.igkv.ac.in** एवं कार्यालय के वेबसाईट **www.kvkbastar.org** पर अपलोड की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा, वे सूची प्रसारित होने के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगें। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
28. विज्ञापन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.igkv.ac.in** एवं कार्यालय के वेबसाईट **www.kvkbastar.org** पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, बस्तर

पृ.क्र0 / व.वै.एवं प्र. / कृ.वि.के. / स्था0 / भर्ती / 2024–25 / 495 जगदलपुर, दिनांक 02/09/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कुलसचिव, इं.गां.कृ.वि.वि.रायपुर (छ.ग.)।
2. निदेशक विस्तार सेवायें, इं.गां.कृ.वि.वि.रायपुर (छ.ग.)।
3. निज सहायक, माननीय कुलपति, इं.गां.कृ.वि.वि.रायपुर (छ.ग.)।
4. सर्वर प्रभारी, इं.गां.कृ.वि.वि.रायपुर (छ.ग.) **www.igkv.ac.in** पर अपलोड करने बाबत्।
5. लेखा एवं स्थापना शाखा, कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्तर (छ.ग..)।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, बस्तर